



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन", भवानी सिंह रोड़, जयपुर -302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001
Phone- 0141-2989581 E-mail : rd-rajasthan@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

e-file No. U-12/1/2022-MED

Date-14.05.2025

कार्यालय आदेश

क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी को मुख्यालय मानक के अनुसार देय मानदेय पर उनके नाम के आगे वर्णित विवरणानुसार एक वर्ष या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्य ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो के लिए अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी (पीटीएमआर) के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की है तथा यह भी आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी की सेवायें कभी भी बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं।

क्र. सं	चिकित्साधिकारी का नाम	अवधि	पूर्व में PTMR केंद्र	अब आवंटित पीटीएमआर केंद्र
1	डॉ. विनोद अग्रवाल	14.05.2025 से आगामी आदेशों तक	अलवर, भरतपुर	अलवर, भरतपुर एवं नीमरान (बहरोड़)

उक्त अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को मुख्यालय के पत्र संख्या U-13/12/13/2005-Med. 1/PTMR दिनांक 01.10.2008 के अनुसार मानदेय देय होगा।

भवदीय,
Digitally signed by
Raviraj Thagria
(डॉ. विनोद अग्रवाल)
Date: 23-05-2025
07:52:59
राज्य चिकित्सा अधिकारी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- चिकित्सा आयुक्त (मेड.-1) मुख्यालय, क. रा. बी. निगम, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली।
- संबन्धित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी (पीटीएमआर)/ चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अलवर।
- निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ (ईएसआई योजना), लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
- उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, अलवर।
- उप निदेशक (वित्त एवं लेखा शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
- उप निदेशक (हितलाभ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
- ✓ सहायक निदेशक (रोकड़ शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।
- शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, नीमराना, भरतपुर एवं अलवर को इस निर्देश के साथ कि वे संबन्धित अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी से उपर्युक्त वर्णित विवरणानुसार बीमितों को देखने हेतु समय एवं आवश्यकतानुसार विजित संख्या निश्चित करें।
- सहायक निदेशक (जनसम्पर्क शाखा), क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना राजस्थान की वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने के श्रम करें।
- चिकित्सा निर्देशी/राज्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, जयपुर।

राज्य चिकित्सा अधिकारी